न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 51/2025

श्री भगवान पुत्र छोटू जाति योगी निवासी कारोला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0.
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक** 26.06.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू को आवेदन पत्र दिनांक 04.02.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1 नामान्तकरण संख्या 653 दिनांक 13.07.2015 ग्राम बोरखण्डी खुर्द पंचायत सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक की प्रमाणित प्रतिलिपि।

2 नामान्तकरण संख्या 317 दिनांक 03.12.2021 ग्राम बोरखण्डी खुर्द पंचायत सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक की प्रमाणित प्रतिलिपि।

3 नामान्तकरण संख्या 3337 दिनांक 27.04.2023 ग्राम बोरखण्डी खुर्द पंचायत सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक की प्रमाणित प्रतिलिपि।

4 ख.नं. 247 पुराना नामान्तकरण संख्या 915 ग्राम सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक की प्रमाणित प्रतिलिपि।

5 नामान्तकरण संख्या 271/2482/2 एवं 271/2483/1 ग्राम सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू को पत्र क्रमांक 978 दिनांक 03.06.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू ने पत्र क्रमांक 2135 दिनांक 12.06.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)